

विवेकानन्द का व्यक्तित्व युवाओं को प्रेरणा देने वाला--राज्यपाल

लखनऊ: 12 जनवरी, 2017

गाइड समाज संस्थान द्वारा आज राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण एवं अनुसंधानशाला, जानकीपुरम् में स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान देने वाले युवाओं को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में लखनऊ के पूर्व जिलाधिकारी श्री राजशेखर, युवा उद्यमी श्री गौरव प्रकाश, युवा समाजसेवी श्री अजीत सिंह, दिव्यांग छात्र उज्ज्वल निगम, हेल्पयू संस्था के पदाधिकारी श्री हर्षवर्धन सहित अन्य लोग थे, जिन्हें राज्यपाल ने स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महानिदेशक श्री बी०बी० खडबड़े, पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस०सी० वर्मा, संयोजिका डा० इन्दु सुभाष सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर युवाओं का सम्मान समारोह सराहनीय कार्य है। स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व युवाओं को प्रेरणा देने वाला है। स्वामी विवेकानन्द ने श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति का परिचय विदेशों में ऐसे समय पर दिया जब भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। स्वामी जी ने अपने विचार और व्यवहार से पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया। भारतीय युवाओं के समक्ष उन्होंने आदर्श रखा कि लक्ष्य को जीवन बनाओ और जब तक मंजिल न मिले प्रयत्न करते रहो। उन्होंने कहा कि हमारे युवा स्वामी विवेकानन्द के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लें।

श्री नाईक ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है। सन् 2025 तक संख्या की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा युवा होंगे। युवा हमारी पूंजी हैं इन्हें सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। अच्छी शिक्षा के साथ-साथ युवा अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें। उन्होंने व्यक्तित्व विकास के चार मंत्र बताते हुए कहा कि सदैव प्रसन्नचित्त रह कर मुस्कराते रहें, दूसरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करें और अच्छे गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करें, दूसरों को छोटा न दिखाये तथा हर काम को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें।

राज्यपाल ने कहा कि 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। भारतीय संविधान द्वारा 18 वर्ष पूर्ण कर चुके देश के समस्त नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। संविधान ने मतदान का अधिकार दिया है तो मतदान करके अपने लोकतांत्रिक दायित्व का निर्वाहन करें। मतदाताओं को योग्य प्रतिनिधि एवं योग्य सरकार चुनने का अधिकार है। गत चुनावों में प्रदेश में लगभग 59 प्रतिशत मताधिकार का प्रयोग किया गया इसका मतलब यह है कि करीब 40 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें इसके लिये लोगों में प्रबोधन की आवश्यकता है।

इस अवसर पर अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।



